

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक: मु0स09/395
अध्यक्ष,

दिनांक:- 27/6/2003

**महोदय मानसरोवर मुस्लिम वेलफेयर सोसायटी,
मानसरोवर, जयपुर।**

विषय:- डिस्ट्रिक्ट ऑफिस प्रोपर्टी रेगुलेशन 1970 की धारा 34 के अन्तर्गत मण्डल की **मानसरोवर** योजना में आवंटित भूमि का आवंटन पत्र।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सम्पत्ति आवंटन समिति को दिनांक 28.01.2002 को आयोजित बैठक के निर्णय बिन्दु संख्या **13** के अन्तर्गत लिये गये निर्णयानुसार मण्डल द्वारा आपकी संस्था को मण्डल की **मानसरोवर** योजना के सेक्टर **3** में **1000** वर्ग मीटर भूमि **मदरसा** निर्माण हेतु आवंटित किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह आवंटन डिस्ट्रिक्ट ऑफिस प्रोपर्टी रेगुलेशन 1970 की समस्त शर्तों के अनुसार होगा।

भूखण्ड की कीमत का विवरण :-

1. भूखण्ड की कीमत रु. 1276/- प्रति वर्ग मीटर की दर से	12,76,000.00
2. विविध खर्च की राशि	38,280.00
3. लीज राशि रु. 1276/- प्रति वर्ग मीटर की दर से	13,46,180.00
पूर्व में जमा 2 प्रतिशत राशि रु. 1276/-	25,520.00
शेष जमा कराने योग्य राशि -	13,20,660.00

उपरोक्त राशि **13,20,660.00** रुपये का डिमाण्ड ड्राफ्ट राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर के नाम से बनाकर इस पत्र के जारी होने की दिनांक से तीन माह की अवधि में संलग्न चालान के द्वारा जमा कराकर चालान की तृतीय प्रति एवं वॉल्टेड प्रपत्र पूर्ण करके इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।

आवंटन की शर्तें:-

§12 उपरोक्त राशि निर्धारित अवधि में जमा नहीं कराने पर भूखण्ड का आवंटन बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जावेगा एवं मण्डल इस भूमि को किसी अन्य संस्था को आवंटन करने हेतु पूर्ण रूप से स्वतन्त्र होगा।

Chief Estate Manager
Housing Board,
JAIPUR